जप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). मांगी गई सूचना इक्ट्ठी की जारही है स्रीर यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

दिल्ली के कटड़ों में नागरिक सुविधायें

4781. श्री किंवर लाल गुप्त: क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन श्रीर निर्माण श्रावास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के गैर-सरकारी तथा सरकारी कटड़ों में नागरिक सुविधायें उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम को अब तक कितनी राशि उपलब्ध कराई गई तथा आगामी दो वर्षों में उसे कितनी राशि उपलब्ध कराई जायेगी?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन धीर निर्माण, धावास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): दिल्ली नगर निगम को 1961-62 से 1968-69 तक के वर्षों के दौरान. कटरों और बस्तियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था पर उन द्वारा किए गए खर्चे के लिए 56,52,500 रुपये की राशि उपलब्ध की गई। धगले दो वर्षों में, इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध की जाने वाली राशि अन्य बातों के साथ साथ उस अवधि में इस बारे में निगम द्वारा किए जाने वाले खर्चे पर निर्भर करेगी।

Damodar Valley Corporation

4782. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

- (a) whether the Damodar Valley Corporation has proper rules of staff and recruitment for jobs carrying more than Rs.500/-p. m. and for purchase of contracts and sales; and
- (b) if so, what are those rules and if there are no rules, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) Yes, Sir.

(b) The following Service Regulations deal with staff recruitment :--

Regulation No. 9.—Recruitment to the services of the Corporation shall be made by:

- (a) direct appointment, or
- (b) promotion of persons already in the service of the Corporation, or
- (c) borrowing from Governments.

Regulation No. 10.-

- (1) Appointments to posts in Class III Service may be made by the Head of the Office concerned.
- (2) Subject to any directions issued by the Corporation, appointments to posts in other Services may be made by the Corporation on the recommendation of a Selection Board constituted under clause (i) or as the case may be, clause (ii) of sub-regulation (3).
- (3) The Corporation shall constitute--
 - (i) in the case of Class I posts, a Selection Board consisting of the General Manager or the Deputy General Manager, the Director of Personnel or the Joint Director of Personnel and the Head of the department concerned or his representative.

Provided that where the appoints ments are to be made to posts, the maximum scale of pay of which exceeds Rs. 1,000 per mensem, Selection Board shall also consist of the Chairman or a Member of the Corporation; and

(ii) In the case of all Class III posts, except those which are

filled after practical test, a Selection Board consisting of the Deputy Secretary, the Director or Joint Director or Deputy Director of Personnel and the Head of the Department concerned or his representative.

(4) The Selection Board may call for the services of experts from within or outside the Corporation for advice on any particular appointment.

> The Damodar Valley Corporation have laid down procedure relating to purchase of stores under which Field officers may make direct purchase of stores otherwise than from the local market within their financial powers subject to the following conditions:--

- (i) Purchases should be made only when they are urgently required and the time-factor does not admit of indents being placed on the Controller of Purchase and Stores.
- (ii) Purchase of Calcutta should be made on the basis of competitive quotations from firms to be indicated by the Controller of Purchase and Stores.
- (iii) The reasons for purchases otherwise than through the Controller of Purchase and Stores indicating the urgency should be placed on record and indicated on the bills presented to the Accounts Department.

The Corporation have devised standard agreement forms for the supply of power and industrial water.

दस रुपये के नये सिक्के

4783. श्री यशक्षल सिंह: श्री स० श्रं० सामन्त: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार की एक पुरानी ग्रधिमूचना के अनुसार जो दस रुपये के नये सिक्कें जारी किये जाने थे, उन्हें अब तक जारी न करने के क्या कारए। हैं;
 - (ख) उन्हें कब जारी किया जायेगा; और
- (ग) 25 पैसे के सिक्कों की नुलना में 20 पैसे के नये सिक्के के बड़ा होने के क्या कारण हैं?

उप-प्रवान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). दस रुपये कानयासिकका जारी करने के सम्बन्ध में अब त कोई अधिसचना जारी नहीं की गयी है। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा समिल्त स्मारक सिक्के जारी करने की अन्तर्राष्ट्रीय योजना के अधीन 1968 में इस मत्य का एक चान्दीं का सिक्का खारी करने का प्रस्ताव था। पर 1968 में इसे जारी नहीं किया जा सका क्यों कि इसके नमुने को अन्तिम रूप देना और उस सम्बन्ध में ... अन्य प्रबन्ध करना उस वर्ष सम्भव नहीं हो सका था। अब खाद्य और कृषि सगठन सम्बन्धी सिक्के को 1970 में जारी करने का विचार है क्योंकि इसी दर्षखाद्य और कृषि संगठन की रजत जयन्ती मनायी जायगी । बहरहाल, दस रुपयेकाचः न्दींकासिक्का महात्मा गांधीकी जन्म जनाब्दि के अदसर पर 1969 में जारी करने का प्रस्ताव है।

(ग) यद्यपि 20 पैसे का नया सिक्का 25 पैसे के निकल के सिक्के से बड़ा है. पर यह एल्यूमिनियम और कांसे की मिश्र घातु से बना है, जो निकल से सस्ती है। नये सिक्के के आकार का निष्वय 10 पैसे के नये सिक्के के आकार और वजन को ब्यान में रखते हुए किया गया था, जो एल्यूमिनियम और कांसे की मिश्र घातु से बना हैं, और अधिक सुरक्षा के लिए